प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प ग्राम पंचायत 675

Form No-III

पत्र आदेश (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूनमगढ़ रायसिंहनगर

जगदीश आदि ..... बनाम ..... नम्बर 54

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट ..... सन् 2022

सी सी एम एल आर/ 2022/ 54

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही का संक्षिप्त सार	नम्बर व तारीख आदेश की हुक्म की तामील में जारी किए
5/1/2022	तहसीलदार मु.अ./नायब तहसीलदार ..... रायसिंहनगर के पत्रांक/मु.अ./प्र.गां.रां.अ./2022/1595 दिनांक 5/1/2022 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ढाकरी ..... में प्रार्थी के नाम चक 37 NPA ..... की जमाबंदी सम्वत् 2025-2078 ..... के खाता सं. 38 ..... में जगदीश देवीलाल-रामकुमार पि. बीरबल राम जाति पुजारा ..... हटा कर मौके आधार इन्द्रिजा दर्ज है। के स्थान पर जगदीश-देवीलाल-रामकुमार पि० बीरबल राम जाति पुजारा हटा कर मौके आधार इन्द्रिजा शामिल RSMR-मुतीहीन की दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/~~नायब तहसीलदार~~ ..... रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 37 NPA ..... तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2025-2078 के खाता सं. 38 ..... में जगदीश-देवीलाल रामकुमार पि. बीरबल राम जाति पुजारा हटा मौके आधार इन्द्रिजा शामिल RSMR के स्थान पर जगदीश-देवीलाल-रामकुमार पि. बीरबल राम जाति पुजारा हटा मौके आधार इन्द्रिजा शामिल RSMR-मुतीहीन ..... की दुरूस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती [illegible] नाम जारी हो। का आदेश तहसीलदार रायसि[illegible] पत्रावली फैसले [illegible] आदेश मजमा-ए-आम [illegible] (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प-ढाकरी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:58:26 IST
Reason: SelfAttested